एस.एफ.ए.सी./1-3/2/2018-प्रशासन (आरटीआई)
लघु कृषक कृषि व्यापार संघ
पांचवा तल, एन.सी.यू.आई आटिडोरियम बिल्डिंग, अगस्त्त क्रांति मार्ग,
हौज़ खास, नई दिल्ली- 110016

3501

दिनांक: 22.11.2018

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में।

श्रीमान्

उपरोक्त विषयांतर्गत, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा स्थानांतरित आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र सख्या-एस.एफ.ए.बी.सी./आर./2018/80032 दिनांक 31.10.2018 के संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्न बिन्दुवार सूचना देने का निर्देश हुआ है:-

क्र.सं.	मांगी गई सूचना	प्रस्तुत सूचना
1.	**ई-मंडी योजना**	भारत सरकार ने " राष्ट्रीय कृषि बाज़ार नाम" की एक परियोजना अप्रैल 2016 से प्रारंभ की है, जिसे ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट (e-NAM) के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि बाज़ार एक अखिल भारतीय इलैक्ट्रानिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसमे मौजूदा कृषि मंडियों को एक नेटवर्क से जोड़कर कृषि जिन्सों (उत्पादों) की खरीद बेच करने के लिए प्रारम्भ किया गया।
2.	**कार्य आरंभ करने की तिथि**	14 अप्रैल, 2016
3.	**कार्य प्रगति प्रतिशत में**	भारत सरकार द्वारा निर्धारित 585 कृषि मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य 100 प्रतिशत 31 मार्च, 2018 को पूरा किया गया।
4.	**योजना के उद्देश्य**	परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। (I). एक सामान्य ऑनलाईन बाज़ार प्लेटफार्म के माध्यम से पहले राज्य स्तर पर और बाद में संपूर्ण देश में बाज़ारों का समेकन करना ताकि कृषि वस्तुओं के मामले में अखिल भारतीय व्यापार की सुविधा प्रदान की जा सकें, (II). विपणन/अंतरण प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना और उन्हें सभी बाज़ारों में एकरूप करना ताकि बाज़ारों के दक्षतापूर्ण संचालन को बढ़ावा दिया जा सकें,

		(III). विक्रेताओं/बाज़ारों, किसानों और व्यापारियों के बीच सूचना विषमता को हटाया जाना, कृषि सामग्रियों की वास्तविक मूल्य प्राप्त करना, बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता, उत्पाद की गुणवत्ता के साथ मूल्य निर्धारण, ऑनलाइन भुगतान आदि जो बाजार दक्षता में सहायक है, के लिए ऑनलाइन पहुंच के माध्यम से किसानों/विक्रेताओं के लिए बेहतर विपणन अवसरों को बढ़ावा देना, (IV). क्रेताओं द्वारा अवगत बोली के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन पद्धति स्थापित करना, और (V). उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता उत्पाद की उपलब्धता और स्थिर मूल्यों को बढ़ावा देना।
5.	**आबंटित बजट**	राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना के अंतर्गत सरकार ने वर्ष 2017-18 में 200 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट आबंटित किया गया है।
6.	**खर्च बजट**	राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना में वर्ष 2017-18 में 180.97 करोड़ रुपए खर्च हुए।
8.	**ई-मंडी आरंभ तिथि एवं पते आदि**	राष्ट्रीय कृषि बाज़ार में जोड़ी गई मंडियों, उनके पते संलग्न अनुलग्नक-I में दिए गए है।

अपिलिय अधिकारी का पता निम्नलिखित है:-

निदेशक,
लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, पांचवा तल,
एन.सी.यू.आई आटिडोरियम बिल्डिंग,
अगस्त क्रांति मार्ग,
हौज़ खास, नई दिल्ली- 110016,
दूरभाष: 011-26966017

भवदीया,

(डॉ. सुमती एस.)
उपनिदेशक प्रशासन/CPIO

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. CPIO एवं निदेशक (कृषि विपणन प्रभाग), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110001
2. नोडल अधिकारी, वेबसाइट, एस.एफ.ए.सी, नई दिल्ली
3. प्रशासनिक अनुभाग, SFAC नई दिल्ली,

(डॉ. सुमती एस.)
उपनिदेशक प्रशासन/CPIO